

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

पत्रांक :- 3974 / 15-1, दिनांक, प्रयागराज, जून, 21 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :-

765 कैंटीन सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा पारषण लाईन सर्किट-1 के निर्माण कार्य में कानपुर नगर वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 18 वृक्षों/पौधों का पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.8064 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 37 वृक्षों/पौधों का पातन, प्रयागराज (इलाहाबाद) वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.4288 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 14.4106 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 2460 वृक्षों/पौधों का पातन, औरैया वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 220 वृक्षों/पौधों का पातन, मैनपुरी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 1.4145 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 09 वृक्ष/पौधों का पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत 2.1504 हे० एवं 67 वृक्ष/पौधों का पातन अर्थात् कुल 5.4913 हे० संरक्षित वन भूमि व 14.4106 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 2811 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-

ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Trans/155138/2015, एवं आपका पत्रांक 1480/11-सी-FP/UP/Trans/155138/2015, दिनांक 13-01-2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में प्रभागीय निदेशक/नोडल अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज ने अपने पत्रांक 4353/5-1, दिनांक 19-06-2023 द्वारा 765 कैंटीन सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा पारषण लाईन सर्किट-1 के निर्माण कार्य में कानपुर नगर वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 18 वृक्षों/पौधों का पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.8064 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 37 वृक्षों/पौधों का पातन, प्रयागराज (इलाहाबाद) वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.4288 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 14.4106 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 2460 वृक्षों/पौधों का पातन, औरैया वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 220 वृक्षों/पौधों का पातन, मैनपुरी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 1.4145 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 09 वृक्ष/पौधों का पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत 2.1504 हे० एवं 67 वृक्ष/पौधों का पातन अर्थात् कुल 5.4913 हे० संरक्षित वन भूमि व 14.4106 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 2811 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति हेतु समेकित प्रस्ताव 04-04 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

उक्त प्रस्ताव में इस कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुये प्रस्ताव की 03-03 प्रतियों में एतदसह संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रस्ताव के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :- प्रस्ताव 6 सेट्स में (कुल 18 प्रतियों में)।

भवदीय,

(अखिलेश पाण्डेय)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

संख्या :- 3974 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक/नोडल अधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, प्रयागराज, को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, एवं मैनपुरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि महाप्रबन्धक साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अखिलेश पाण्डेय)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।